| |
|---|
| दिनांक 03.11.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 05/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्कर करने वाले गिरोह के 01 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 543 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर/हेरोइन (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड 08 लाख रुपये),01 अदद मोबाइल फोन व 1,000/- रूपये नगद बरामद किया गया ।**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक, श्री भगवान दास एएनटीएफ यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्कर करने वाले गिरोह के 01 सक्रिय तस्कर जिसका नाम शौएब पुत्र साजिद निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली को तितरौ तिराहे के पास कस्बा गंगोह से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 543 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर/हेरोइन (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड 08 लाख रुपये),01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद बैग रंग काला व 1,000/- रूपये नगद बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी। इस सम्बन्ध में थाना गंगोह जनपद सहारनपुर में मु0अ0सं0 516/2025 धारा 8/21(C)/29 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

**पूछताछ का विवरण –**

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया गया कि यह स्मैक उसे एक व्यक्ति ने यह कहकर दिया था कि इसे लेकर गंगोह जाना है और वहाँ पर उसे एक व्यक्ति मिलेगा जिसे यह स्मैक की सप्लाई कर देना और बदले में वह इसे पैसे का बैग देगा, जिसे वापस लाकर यह उस व्यक्ति को देकर अपना हिस्सा लेकर मुनाफा कमाता था। आज उस एक व्यक्ति को सप्लाई करने के लिये इन्तजार कर रहा था, कि आपने पकड़ लिया।

**नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–**

1– शौएब पुत्र साजिद निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली

**गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान–**

दिनांक– 03.11.2025 स्थान– को तितरौ तिराहे के पास कस्बा गंगोह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

**बरामदगी का विवरण–**

1– 543 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर/हेरोइन (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड 08 लाख रुपये)

2– 01 काले रंग का बैग

3– 01 अदद मोबाइल फोन

4– 1,000/– रुपये नगद।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–**

1. उ0नि0 श्री रवि कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नवीन कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
4. का0 विकास कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर
5. का0 शिवम चौधरी ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।
6. का0 अंकित कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना सहारनपुर।

**पुलिस टीम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर**

1– उ0नि0 श्रीअतुल कुमार थाना गगोह जनपद सहारनपुर

2– है0का0 अजीत कुमार थाना गगोह जनपद सहारनपुर

3– है0का0 अमित कुमार थाना गगोह जनपद सहारनपुर

4– है0का0 राहुल कुमार थाना गगोह जनपद सहारनपुर

5– आरक्षी सविन कुमार थाना गगोह जनपद सहारनपुर

**सहयोगार्थ सर्विलांस टीम मुख्यालय लखनऊ**

1– एस. आई. एम राजेश मिश्र (सर्विलांस प्रभारी) एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ।

2– टीम सर्विलांस एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ।

## जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

**• पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

**• चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**

**• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 02/03.11.2025 की रात्रि थाना छतारी व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली नदी पुल पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान

से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त जावेद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छतारी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़, हापुड़ व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 40 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—जावेद निवासी मोहल्ला नई आबादी कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी**

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

## जनपद मऊ/थाना कोपांगज

### • 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनॉकः 02.11.2025 को थाना कोपागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इंदारा रेलवे स्टेशन रोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनिल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दोहरीघाट पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–अनिल निवासी तिवारी के मिल्की थाना बैरिया जनपद बलिया।

**<u>जनपद जौनपुर/थाना मुंगराबादशाहपुर</u>**

- **पुलिस कार्यवाही में 09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 06 किलोग्राम चॉदी व चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाख 04 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 03.11.2025 को थाना मुंगराबादशाहपुर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नाभापुर रेलवे क्रासिंग के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–लादु 2–पूरन घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–बाबू सिंह 4–बीजेन्द्र उर्फ मंगल 5–सुरेश 6–मोती उर्फ किरेकी 7–धर्मपाल उर्फ फूलसिंह 8–भोला 9–अजीत सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 06 किलोग्राम चॉदी व चॉदी के आभूषण, चोरी के 01 लाख 04 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना मुंगराबादशाहपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मुंगराबादशाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त लादु के विरूद्ध जनपद जौनपुर व कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग, अभियुक्त पूरन के विरूद्ध जनपद सीतापुर, रामपुर, पीलीभीत के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त सुरेश के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, जौनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग, अभियुक्त भोला के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर, पीलीभीत, खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मुंगराबादशाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—लादु निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

2—पूरन निवासी ईसापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

3—बाबू सिंह निवासी रावातपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहॉपुर।

4—बीजेन्द्र उर्फ मंगल निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

5—सुरेश निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

6—मोती उर्फ किरेकी निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

7—धर्मपाल उर्फ फूलसिंह निवासी बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

8—भोला निवासी ईसापुर थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

9—अजीत निवासी रामपुरा थाना पसगवां जनपद खीरी।

**बरामदगी**

1—चोरी के लगभग 06 किलोग्राम चॉदी व चॉदी के आभूषण।

2—चोरी के 01 लाख 04 हजार रूपये नगद।

3—चोरी में प्रयुक्त उपकरण।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

## जनपद हाथरस/थाना सिकन्द्राराऊ

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत के इलेक्ट्रानिक सामान (166 लैपटॉप, 01 जेट प्रिन्टर, 03 कार्टून कनैक्टर, 01 कार्टून कम्प्यूटर चिप, 04 एडोप्टर, 118 छोटे/बड़े रेडियो आदि बरामद**

दिनांक 02.11.2025 को थाना सिकन्द्राराऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कर्मपुर कोठी की पुलिया गांव नगला कहार के पास से अभियुक्त हृदेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत के इलेक्ट्रानिक सामान (166 लैपटॉप, 01 जेट प्रिन्टर, 03 कार्टून कनैक्टर, 01 कार्टून कम्प्यूटर चिप, 04 एडोप्टर, 118 छोटे/बड़े रेडियो आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राराऊ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—हृदेश निवासी भूपालगढ़ी थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस।

**बरामदगी**

1—चोरी के 02 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत के इलेक्ट्रानिक सामान (166 लैपटॉप, 01 जेट प्रिन्टर, 03 कार्टून कनैक्टर, 01 कार्टून कम्प्यूटर चिप, 04 एडोप्टर, 118 छोटे/बड़े रेडियो आदि।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बसखारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना बसखारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—महेन्द्र 2—कुलदीप को आजीवन कारावास व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद रामपुर/थाना शाहबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना शाहबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/394/411 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त फराज को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर/थाना इमलिया सुल्तानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 38 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना इमलिया सुल्तानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ हुकुमचन्द को आजीवन कारावास व 38 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————